



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०एम०एल०एम०यू०) उ०प्र०  
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail: nulmup@gmail.com website: www.sudaup.org

पत्रांक- 580 / 241 / NULM / तीन / 2015 (SM&ID-RO-EMP)

दिनांक- 9-8-16



कार्यालय ज्ञाप

दीनदयाल अन्तयोदय योजना (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत सन्दर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप सं०-एफ-एन-के-14011/7/2013-यूपीए/एफटीएस-9789 दिनांक 03.08.2015 के अनुक्रम में उ०प्र० भूमि सुधार निगम से सम्बद्धता/सी०एम०एम०यू०, डूडा अलीगढ़ एवं बस्ती की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत इम्पैनल्ड किया जाता है।

क्र. सं.	संस्था का नाम व पता तथा संपर्क व्यक्ति	फोन नं०	ई-मेल	शहर का नाम जहाँ के लिए संस्था को इम्पैनल्ड किया जा रहा है।
1	2	3	4	5
1	ओम गौरा, डी०एस०एल०-32, स्वर्ण जयंती नगर, रामघाट रोड़, अलीगढ़	8445191281 8004333388	ogss2014@gmail.com	अलीगढ़
2	आर्थिक विकास एवं जनकल्याण संस्थान, 301, द्वितीय फ्लोर, प्रेम प्लाजा, मुंशीपुलिया, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016	9415465651	arthikvikas@gmail.com	लखनऊ
3	साकेत ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान इन्टरनैशनल एजुकेशन सेन्टर, मास्कनवा बाजार, गोण्डा-271305	9838369850	tripathiarun621@gmail.com	बस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच

इस प्रकार उल्लिखित संस्थाओं को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत गाइडलाइन के अनुसार स्वयं सहायता समूहों एवं उनके फेडरेशन का गठन आदि कार्य हेतु इम्पैनल्ड किया जाता है। उल्लिखित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल एस०एम०एम०यू०, सूडा उ०प्र० से समन्वयन कर नियमानुसार एग्रीमेन्ट की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा अलीगढ़, लखनऊ, बस्ती, बहराइच एवं सिद्धार्थनगर उ०प्र०।
4. सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परि० निदेशक, डूडा अलीगढ़, लखनऊ, बस्ती, बहराइच एवं सिद्धार्थनगर उ०प्र०।

